

राजस्थान सरकार
चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग

क्र.सं. : प. 1(24)एमई/ग्रुप-1/2021

जयपुर, दिनांक : 29/11/21

आदेश

विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 28.09.2021 के द्वारा नव नियुक्त निम्न अभ्यर्थी द्वारा कार्यग्रहण काल में अभिवृद्धि हेतु किए गए निवेदन पर विचार करते हुए इनके कार्यग्रहण काल में इनके नाम के सम्मुख अंकित अवधि तक अभिवृद्धि प्रदान की जाती है:-

क्र.सं.	अभ्यर्थी का नाम	पद जिस पर नियुक्ति प्रदान की गई है	कार्यग्रहण काल में अभिवृद्धि की समयावधि
1.	डॉ कविता मौर्य	वरिष्ठ प्रदर्शक, माइक्रोबायोलोजी, मेडिकल कॉलेज, उदयपुर	30 दिवस

यह अभिवृद्धि उनके कार्यग्रहण काल में विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 12.10.2021 द्वारा की गई अभिवृद्धि की निरन्तरता में है।

आज्ञा से,

29/11/21
(सुनील शर्मा)

संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज., जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज., जयपुर।
3. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज, उदयपुर को प्रेषित कर लेख है कि संबंधित अभ्यर्थी के कार्यग्रहण काल में की गई अभिवृद्धि में अपने पद पर कार्यग्रहण करने अथवा नहीं करने की सूचना अविलम्ब इस विभाग को जरिये ई-मेल भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।
4. ए.सी.पी चिकित्सा शिक्षा विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
5. डॉ. कविता मौर्य पुत्री श्री नन्द लाल मौर्य, 61, शिव विहार कॉलोनी, वीकेआई ऐरिया, रोड नं. 05, जयपुर (राज.)-302039 को रजिस्टर्ड डाक द्वारा।
6. रक्षित पत्रावली।

29/11/21

(अशोक कुमार सोनी)
उप शासन सचिव